18/07/2019

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री अमित बाजपेयी उपस्थित।
अभियुक्त सहित श्री श्री एस के तिवारी उपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त कथन हेतु नियत है। धारा 313 दप्रस के तहत अभियुक्त का परीक्षण किया गया। अभियुक्त के द्वारा स्वयं को निर्दोष होना एवं झूंठा फंसाये जाने का कथन किया तथा अपने बचाव में बचाव साक्ष्य नही देना व्यक्त किया। इसी स्तर पर अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा आज ही प्रकरण में अंतिम तर्क श्रवण किये जाने का निवेदन किया, न्यायहित में उभयपक्ष का अंतिम तर्क श्रवण किया गया।

प्रकरण निर्णय हेतु चायकाल पश्चात पुनः पेश की जावें।

सही/–
(श्रीमती कंचनलता आचला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तिल्दा जिला रायपुर छ.ग.

पश्चात्
राज्य द्वारा एडीपीओ श्री अमित बाजपेयी उपस्थित।
अभियुक्त सहित श्री श्री एस के तिवारी उपस्थित।

प्रकरण निर्णय हेतु नियत है। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। प्रकरण में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध धारा 304(ए) भारतीय दंड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर धारा 304(ए) भारतीय दंड संहिता के अपराध से दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्त के द्वारा पेश जमानत बंधपत्र धारा 437 (क) द प्र स के प्रावधानानुसार निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक सी जी 04 LN 1082 मय दस्तावेज सुपुर्दनामें पर है उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर मूल स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो एवं अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत की जावें।

धारा 428 द प्र स के प्रावधानानुसार अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि निरंक है।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार में जमा किया जावें।

सही/–
(श्रीमती कंचन लता आचला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तिल्दा जिला रायपुर छ0ग0

प्रमाण पत्र

मैं पुष्टि करता हूँ कि इस पी.डी.एफ.फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश/निर्णय/कथन में टंकित की गई है।

साक्ष्य लेखक :– गोपाल प्रसाद देवांगन